2024 | 170

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी:– प्रवीण सिंह पुत्र हंसराज सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हुडास तहसील लाडनूं, जिला–डीडवाना–कुचामन, राजस्थान वगैरा ।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– कंचन कंवर पुत्री टीकू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...**67/2024** सन्–**2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
13.05.2024	प्रार्थी प्रवीण सिंह पुत्र हंसराज सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हुडास तहसील लाडनूं, जिला–डीडवाना– कुचामन, राजस्थान वगैरा ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण कंचन कंवर पुत्री टीकू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी के तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्को पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद मण्डाबासनी, पटवार हल्का–दादूबासनी के खसरा नम्बर 994, 1084, 1085 व 1088 की भूमि में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें व बेचाण/हस्तानान्तरण नही करें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट :–** 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक **28.06.2024** को पेश हो। Vikas सहायक कलेक्टर डीडवाना Signature Not Verified Digitally signed by Vikas Mohan Bhati Date: 2024.09.30 12:41:03 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner

28/6/24

प्रार्थी तथा उक्त अधिवक्ता उप०।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण वह प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं। प्रार्थना पत्र जरिए विड्राल खारिज किया जावे। आदेश पर सुनाया व रेकर्ड का अवलोकन किया चूंकि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहता है अतः हस्ब ख्वाहिश प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र जरिए विड्राल खारिज किया जाकर पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर मुकम्मल के साथ दाखिल दफ्तर हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

ममता देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:41:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner